8

लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रान्तियाँ सन् 1600–1900

हांगकांग में लोकतंत्र के लिए मार्च

चित्र 8.1 : हांगकांग में लोकतंत्र के लिए मार्च

'राष्ट्रवाद' और 'लोकतंत्र' के बारे में आपने किताबों, भाषणों, अखबारों, टी. वी., रेडियो के समाचारों आदि में ज़रूर सुने होंगे। आप के विचार से इनका क्या आशय है। एक–दूसरे से चर्चा करें। राजाओं के शासन और लोकतंत्र में क्या–क्या अन्तर है, कक्षा में चर्चा करें।

सन् 1600 में दुनिया के अधिकांश इलाकों में राजा–महाराजाओं या सामन्तों का शासन था। वे अपने अधीन लोगों पर अपनी मर्ज़ी से शासन करते थे। लोगों पर मनमाने कर व शुल्क लगाना, विरोध करने वालों को प्रताड़ित करना, जेल में डालना या मार देना, लोगों की सम्पत्ति को मनमाने तरीके से ज़ब्त कर लेना, अपनी मर्ज़ी से कानून बनाना या बदलना, ये आम बात थी। कानून बनाने वाले, उसे लागू करने वाले तथा न्याय देने वाले सब राजा या सामन्त ही होते थे। इसलिए उन पर कोई रोक–टोक नहीं थी। राज्य चलाने का काम लोगों का नहीं, राजाओं का था, यानी राज्य लोकतांत्रिक नहीं थे। यही नहीं, राज्य बनाने का काम भी लोगों का नहीं, केवल राजाओं का था। राजा सेना के दम पर जितनी ज़मीन और लोगों पर हुकूमत जमा सकते थे, उससे राज्य बनते थे। इसमें राष्ट्र के लोगों की सोच, संस्कृति, ज़रूरतों और भावनाओं की कोई भूमिका नहीं थी। यानी राज्य तो थे पर वे राष्ट्रीय नहीं थे। इस कारण शासन के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव सीमित था।

इन परिस्थितियों में बदलाव लाने में सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी में हुई क्रान्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक तरीकों से शासित हैं, यानी सारे वयस्क लोग मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। एक निश्चित समय के बाद फिर से चुनाव होता है और नए लोग चुनकर आते हैं। नागरिकों के अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं। यह बदलाव इंग्लैंड से शुरू हुआ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

History_8.pmd 125 1/11/2019, 3:27 PM

8.1 इंग्लैंड राजा और संसद के बीच संघर्ष

विश्व के दीवार मानचित्र में इंग्लैंड और उसके पड़ोसी देशों को पहचानें। इन देशों के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो एक–दूसरे को बताएँ।

सत्रहवीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड पर राजाओं का ही शासन था। उन दिनों इंग्लैंड में राजा की प्रजा से संवाद की एक व्यवस्था थी जिसे पार्लियामेंट कहते थे (आज हम पार्लियामेंट को हिन्दी में संसद कहते हैं)। जब कभी राजा को कर लगाने होते थे या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, वे पार्लियामेंट को बुलाकर उसकी राय लेते थे। यह परम्परा बन गई थी कि बिना पार्लियामेंट की सहमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता था।

पार्लियामेंट दो सदनों में विभाजित था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता गिरजाघर के उच्च पादरियों और कुछ वंशानुगत ज़मींदारों की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रतिनिधि होते थे जिन्हें गाँव व शहरों की सम्पत्ति वाले पुरुष मतदान द्वारा चुनते थे। महिलाओं, गरीब किसानों और मज़दूरों को मत देने का अधिकार नहीं था।

मध्यकालीन भारत में संसद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बादशाह और राजा अपनी मर्ज़ी से शासन चला सकते थे। वे अपने चहेतों और सलाहकारों से राय ज़रूर लेते थे लेकिन उनकी सलाह पर चलना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। कर बढ़ाने या घटाने के निर्णय राजा अपनी समझ और सूझबूझ से करते थे। इसमें प्रजा की कोई कानूनी भूमिका नहीं थी।

क्या सत्रहवीं सदी के इंग्लैंड की संसद को आप लोकतांत्रिक मान सकते हैं? इस पर कारणों सहित चर्चा करें।

भारतीय राजा व बादशाह अपने चहेतों व मंत्रियों से राय–मशविरा करके निर्णय लेते थे। भारतीय और इंग्लैंड की व्यवस्था में क्या कोई अन्तर है?

सत्रहवीं सदी में इंग्लैंड के राजा और संसद के बीच का रिश्ता टूटने लगा। एक तरफ संसद राजकीय मामलों में अधिक भूमिका चाहती थी जबकि दूसरी ओर राजा संसद के प्रति जवाबदेही नहीं चाहता था। सन् 1603 में जेम्स प्रथम राजा बने। उनका मानना था कि राजा को उसकी शक्ति ईश्वर से मिलती है और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो सकता है। अतः संसद उसके काम पर सवाल नहीं उठा सकती। सन् 1625 में चार्ल्स प्रथम गद्दी पर आसीन हुआ। उसके और संसद के बीच मतभेद बढ़ने लगे। दोनों के बीच कर वसूलने के अधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए। राजा ने संसद की अनुमति के बिना नया कर लगा दिया और ज़बरदस्ती व्यापारियों व भूस्वामियों से धन उधार लेना प्रारम्भ कर दिया। धन देने से इंकार करने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। इस स्थिति के चलते संसद ने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की। सन् 1628 में संसद ने राजा के सामने अधिकारों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उस में लिखा हुआ था कि

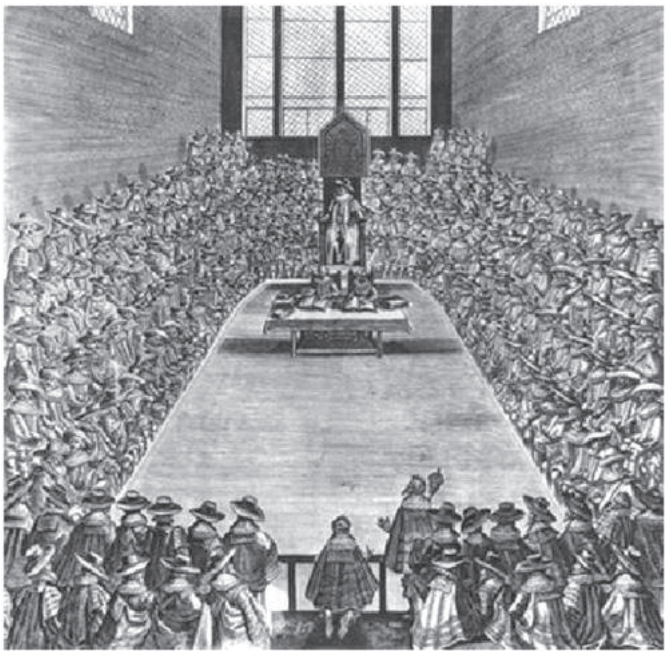

चित्र 8.2 : राजा जेम्स प्रथम के समय इंग्लैंड का पार्लियामेंट। सभा के बीच में ऊँचे आसन पर राजा बैठा हुआ है।

History_8.pmd 126 1/11/2019, 3:27 PM

संसद विनम्रतापूर्वक निवेदन करती है कि

अब से किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती... ऋण न लिया जाए, तथा किसी प्रकार का कर... संसद की सम्मति के बिना न लगाया जाए। ...सिवाय कानूनी तरीकों से, किसी भी स्वतंत्र मनुष्य को जेल में नहीं डाला जाए या उसकी सम्पत्ति को ज़ब्त नहीं किया जाए।

(सन् 1628 के पिटीशन ऑफ राइट्स – अधिकारों का ज्ञापन – से कुछ पंक्तियाँ)

इसी संघर्ष के कारण चार्ल्स प्रथम ने 11 साल तक संसद की बैठक नहीं बुलाई। पर सन् 1640 में एक पड़ोसी देश के विरुद्ध युद्ध होने से राजा का खजाना खाली हो गया था। युद्ध के लिए नए कर लगाने थे जिसके लिए उसे संसद को बुलाना पड़ा। लेकिन संसद ने राजा और उसके मंत्रियों की तानाशाही पर नियंत्रण करने का फैसला किया और मंत्रियों तथा अधिकारियों को दण्ड सुना दिया। इसके साथ ही राजा के समर्थकों और संसद के बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया जो पाँच वर्षों तक चला। इस गृहयुद्ध में ओलिवर क्रॉमवेल ने संसद का नेतृत्व किया और राजा के खिलाफ लोगों की एक सेना तैयार की। सन् 1649 में चार्ल्स पराजित हुआ और उसे संसद द्वारा मृत्युदण्ड दिया गया।

चार्ल्स की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में गणतंत्र स्थापित किया गया जिसमें राजा के लिए कोई स्थान नहीं था। यह गणतंत्र केवल 11 वर्षों तक चला क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल खुद एक तानाशाह के रूप में काम करने लगा था। क्रॉमवेल के मरने के बाद संसद ने चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। चार्ल्स द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय ने फिर से निरंकुश शासन प्रणाली की ओर लौटने का प्रयास किया। संसद ने एक बार फिर राजा की बढ़ती तानाशाही को रोकने के लिए कोशिश शुरू की। सन् 1688–89 में संसद ने जेम्स द्वितीय की बेटी मेरी द्वितीय और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी सम्हालने के लिए न्योता दिया। साथ में संसद ने शासन व्यवस्था के बारे में कई शर्तें रखीं जिसे मेरी ने मान लिया, जैसे – कानून बनाना या रद्द करना संसद की सम्मति से ही हो, बिना संसद की सम्मति के कोई नया कर न लगे, न ही सेना का विस्तार हो, संसद सदस्यों के चुनाव में राजा हस्तक्षेप न करे तथा संसद में कहीं किसी बात के लिए किसी भी सदस्य को सजा न दी जाए, संसद की बैठकें नियमित रुप से हों। संसद की ऐसी शर्तों को मानकर मेरी द्वितीय इंग्लैंड की रानी बनी और विलियम राजा बना।

यह सब बदलाव बिना लड़ाई–झगड़े और खून बहाए हुआ इसलिए इस बदलाव को 'ग्लोरियस' या 'ब्लडलेस रेवोल्यूशन' (गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रान्ति) कहा गया। निरंकुश राज की जगह जो नई व्यवस्था बनी उसे संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) कहते हैं। इस व्यवस्था में प्रजा को कई अधिकार दिए गए, जैसे– अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिरफ्तारी होना व सज़ा मिलना आदि। संवैधानिक राजतंत्र में किसी न किसी प्रकार से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है जो राजा के कामकाज की समीक्षा करती है और अन्य तरीकों से उसकी मनमानी पर रोक लगाती है। इसे हम लोकतंत्र की स्थापना की ओर एक चरण या पुरानी व नई व्यवस्थाओं के बीच एक समझौता मान सकते हैं।

सन् 1600 से सन् 1688 के बीच इंग्लैंड में संसद और राजा के बीच किन मुद्दों पर मतभेद हुए थे?

संसद सदस्यों के चुनाव में राजा हस्तक्षेप न करे – यह व्यवस्था क्यों बनाई गई होगी?

संसद में कुछ भी कहने का अधिकार (राजा के विरोध में भी) अगर न होता तो क्या होता?

क्या शासन केवल राजा की मर्जी से ही चलना चाहिए अथवा नहीं? इस पर कक्षा में चर्चा करें।

अपने भारत में लगभग उसी समय बादशाह अकबर और जहाँगीर का शासन था। अगर उस समय यहाँ भी इंग्लैंड की तरह संसद होती तो क्या स्थिति होती? चर्चा करें।

इंग्लैंड में लोकतंत्र के प्रयासों के दो महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला, राजाओं के अधिकारों पर नियंत्रण और उनकी निरंकुशता की जगह चुने गए प्रतिनिधियों का शासन लाना। दूसरा पक्ष था, चुनाव की प्रक्रिया में सब लोगों की

History_8.pmd 127 1/11/2019, 3:27 PM

भागीदारी। अठारहवीं सदी में धीरे–धीरे संसद के प्रति ज़िम्मेदार मंत्रिमण्डल की व्यवस्था बनी। उन्नीसवीं सदी के अन्त में वोट देने का अधिकार मज़दूरों को भी मिलने लगा। आगे चलकर बीसवीं सदी में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। इस तरह यह लोकतांत्रिक बदलाव पूरा होने में 250 वर्षों से भी अधिक समय लगा।

8.2 मध्यम वर्ग के लोग और उनके विचार

दिलचस्प सवाल केवल यह नहीं है कि लोकतंत्र को स्थापित होने में इतने साल क्यों लग गए? सवाल यह भी है कि इंग्लैंड में तथा बाद में यूरोप के अन्य देशों में ऐसी क्रान्तियाँ क्यों हुईं? इस संघर्ष में कौन लोग आगे आए तथा उन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?

इस संघर्ष में सबसे अहम भूमिका थी उसी नए मध्यम वर्ग की जिसकी हम चर्चा पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। इंग्लैंड के इस मध्यम वर्ग में छोटे व बड़े व्यापारी थे जो देश–विदेश में व्यापार करके पैसे कमा रहे थे। इनके अलावा छोटे ज़मींदार भी थे जो अनाज आदि बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। ये सब लोग राजाओं व सामन्तों की मनमानी से परेशान थे। वे ऐसा राज्य चाहते थे जो उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करे और कम कर लगाए।

इनके अलावा कारीगर, किसान, मज़दूर आदि थे जो सामन्ती व्यवस्था से त्रस्त थे। वे न केवल राजा व सामन्तों की मनमानी खत्म करना चाहते थे बल्कि समाज में बुनियादी परिवर्तन भी लाना चाहते थे ताकि ऊँच–नीच का अन्तर मिट जाए। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो गणतंत्र के पक्ष में थे और यह भी चाहते थे कि ज़मीन जैसे उत्पादक साधन पर सबका समान अधिकार हो और सब लोग मेहनत से अपनी आजीविका कमाएँ।

हम देख सकते हैं कि मध्यम वर्ग के विचारों तथा कारीगर व किसान आदि लोगों के विचारों में बहुत अन्तर था। चार्ल्स प्रथम को हराने में दोनों ने मिलकर प्रयास किया था। फिर भी 'ग्लोरियस रेवोल्यूशन' में गरीब तबकों को सत्ता से बाहर रखा गया।

सन् 1649 में प्रकाशित एक पर्चे में क्या दिखाया गया है, गौर कीजिए (चित्र 8.3)। इसमें लिखा है कि इंग्लैंड के लोग तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक गरीबों के पास ज़मीन न हो और उन्हें सामूहिक ज़मीन पर खेती करने का अधिकार न हो।

इंग्लैंड की नई अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योग का महत्व बढ़ रहा था और इस कारण बदलाव–पसंद लोगों का महत्व भी बढ़ रहा था। राजा, सामन्त और बड़े भूस्वामी सत्रहवीं सदी में उतने ताकतवर नहीं रहे कि वे इन नए उभरते समूहों की आकांक्षाओं को रोक पाएँ।

चित्र 8.3 : इस चित्र में गरीब किसानों पर किस तरह के अत्याचार आप को दिख रहे हैं?

यूरोप का उभरता मध्यम वर्ग रेनासाँ, वैज्ञानिक क्रान्ति, धर्मसुधार व प्रबोधन आन्दोलनों के विचारों से बहुत प्रभावित था। इसी दौर में अनेक राजनैतिक विचारक हुए जिन्होंने निरंकुश राजशाही का विरोध किया और लोकतंत्र का समर्थन किया। इनमें प्रमुख थे इंग्लैंड के जॉन लॉक (जन्म सन् 1632, मृत्यु सन् 1704) तथा फ्रांस के जां जॉक रूसो। इनके विचारों की प्रेरणा से यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के लिए आन्दोलन को बल मिला।

History_8.pmd 128 1/11/2019, 3:27 PM

जॉन लॉक

लॉक विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाते हैं। उन्होंने निरंकुशता के विरोध में और लोकतंत्र के समर्थन में कई ग्रन्थ रचे। चार्ल्स और जेम्स द्वितीय की नीतियों के वे आलोचक थे। उन्हें उन दिनों स्वदेश छोड़कर हॉलैंड में रहना पड़ा। सन् 1688 में वे मेरी द्वितीय जो बाद में इंग्लैंड की रानी बनीं, के साथ स्वदेश लौटे। लॉक 'सामाजिक अनुबन्ध' (Social Contract) के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वालों में से थे। इस सिद्धान्त के अनुसार समाज के लोग मिलकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य को स्थापित करते हैं। लोगों के हित और अधिकार इस कारण राज्य में सर्वोपरि हैं। राजा व मंत्रियों को लोगों से सत्ता मिलती है, इस कारण वे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं।

लॉक ने निरंकुशता से बचाव के लिए शासन के कार्यक्षेत्रों के विभाजन का सुझाव रखा। उनका सुझाव था कि शासन के तीन पक्ष – कानून बनाना, लागू करना तथा न्याय देना – इन्हें तीन स्वतंत्र क्षेत्रों में बाँटना चाहिए। उदाहरण के लिए, संसद कानून बनाए, राजा लागू करे और स्वतंत्र न्यायाधीश न्याय करें। इस तरह किसी एक के अत्यन्त शक्तिशाली और निरंकुश होने से बचा जा सकता है। इसी विचार को बाद में मॉन्तेस्क्यू (जन्म सन् 1689, मृत्यु सन् 1755) नामक फ्रेंच विचारक ने 'शक्ति विभाजन' (सेपरेशन ऑफ पावर्स) के सिद्धान्त के रूप में पेश किया।

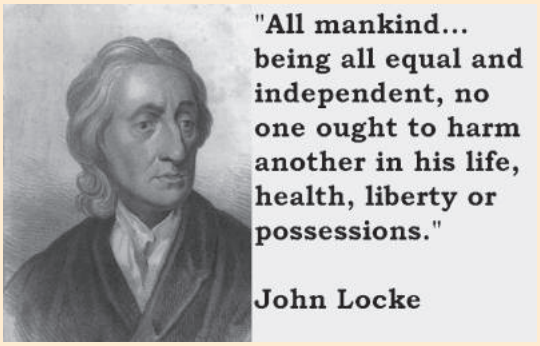

चित्र 8.4 : जॉन लॉक

''सभी मानव समान एवं स्वतंत्र हैं इसलिए किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि पहुँचाने का अधिकार नहीं है।''

जॉन लॉक के इस कथन का क्या आशय हो सकता है, कक्षा में चर्चा करें। इसे अपने घर में बोली जाने वाली भाषा में अनुवाद भी करें।

भारत के संविधान में भी राज्य की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बाँटा गया है। क्या इससे हमें अपने देश में निरंकुशता से बचने में मदद मिली है?

जां जॉक रूसो (जन्म सन् 1712, मृत्यु सन् 1778)

रूसो ने अपने राजनैतिक विचार दो महत्वपूर्ण पुस्तकों में प्रकाशित किए, 'असमानता पर विमर्श' (सन् 1754) तथा 'सामाजिक अनुबन्ध' (सन् 1762)। रूसो का मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक रुप से संयमी और नैतिक होता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है। प्रारम्भ में कोई निजी सम्पत्ति नहीं थी और ज़मीन और जंगल सबका होता था। सब लोग आवश्यकतानुसार सारे काम करते थे और अपने उत्पादन को मिलकर उपभोग करते थे। लोग समस्याओं का आपसी बातचीत से हल निकालते थे। लेकिन समय के साथ निजी सम्पत्ति, कार्य का विभाजन, असमानता और सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य विकृत होता गया। धनी और ताकतवर लोग अपनी इच्छा बाकी लोगों पर थोपने लगे और उन्हें गुलामी में रखने लगे। मनुष्य के बीच असमानता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को नकारना ज़रूरी हो गया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, ''मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, मगर सब तरफ वह जंजीरों से बन्धा हुआ है।'' इसका हल यही हो सकता है कि सारे लोग मिलकर एक नया 'सामाजिक अनुबन्ध' (Social Contract) करें जिसके तहत वे अपने प्राकृतिक अधिकारों या इच्छाओं को प्राथमिकता न देकर 'सामुदायिक निश्चय' (General Will) को प्राथमिकता दें। यह निश्चय सब लोगों के साझे विचार–विमर्श और न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर बनेगा। सामुदायिक निश्चय को प्राथमिकता देने पर कोई इन्सान किसी ताकतवर या धनी व्यक्ति की इच्छाओं से संचालित नहीं होगा। रूसो के ये सिद्धान्त आने वाले युग में लोकतांत्रिक आन्दोलनों के आधार बने।

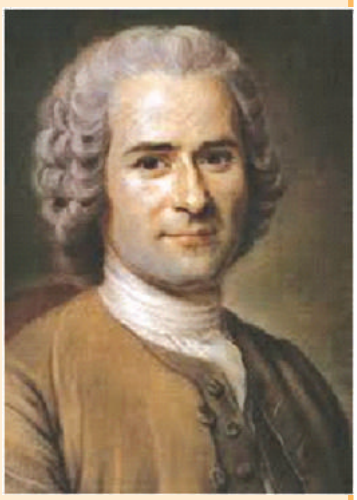

चित्र 8.5 : जां जॉक रूसो

History_8.pmd 129 1/11/2019, 3:27 PM

रूसो ने अपने समाज की बुराइयों व समस्याओं पर विचार करके उनसे निकलने के कुछ तरीके सुझाए।

क्या आप भी कभी इन बातों पर सोचते हैं? अपने विचारों पर कक्षा में सबके साथ चर्चा करें।

क्या आज के सन्दर्भ में किसी देश, गाँव या शहर में 'सामुदायिक निश्चय' बन सकता है? अगर बनाना हो तो उसके लिए किस तरह की तैयारी की ज़रूरत होगी?

8.3 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम (सन् 1775–1783)

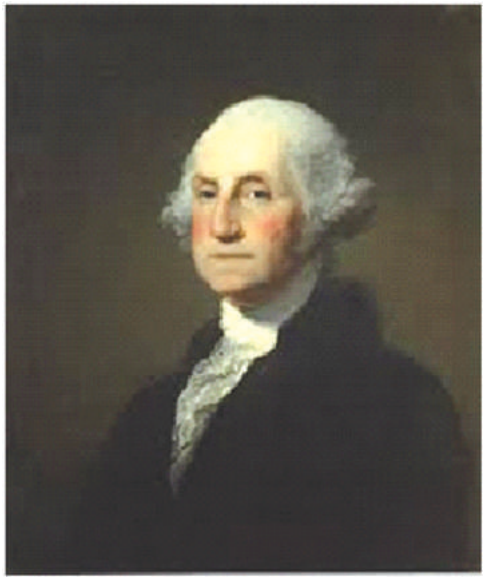

चित्र 8.6 : जॉर्ज वाशिंगटन

सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ये 13 प्रान्तों में बँटे थे। इनमें इंग्लैंड से बहुत बड़ी संख्या में कृषक, कारीगर, व्यापारी आदि जाकर बसे। अठारहवीं सदी में इन अमेरिकी उपनिवेशों के लिए इंग्लैंड की संसद कानून बनाती थी परन्तु वहाँ के लोगों को इस संसद के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। संसद ने जो कर व शुल्क लगाए और कानून बनाए वे अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों के हित में नहीं बल्कि इंग्लैंड के व्यापारियों व व्यवसायियों के हित में थे। अमेरिकी उपनिवेश के लोगों ने नारा लगाया–''बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं'' (no taxation without representation)। सन् 1744 में सभी उपनिवेशों ने विरोध स्वरूप फिलाडेल्फिया में अपने प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक रखी जिसे काँग्रेस कहा गया। काँग्रेस ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय से अनुरोध किया कि उपनिवेशों को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। राजा ने इसे बगावत माना और सन् 1775 में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी।

अमेरिका में बसे लोगों ने इंग्लैंड से टक्कर लेने का फैसला किया। फिलाडेल्फिया में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक (काँग्रेस) हुई और 4 जुलाई सन् 1776 को उसने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस घोषणा के लेखक थॉमस जेफर्सन थे। हम भी यहाँ अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा के कुछ अंश पढ़ेंगे–

हम इन्हें स्वयंसिद्ध सत्य मानते हैं कि ईश्वर ने सारे मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे– जीने का, स्वतंत्रता का और अपनी खुशी की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का अधिकार। ...हम यह भी मानते हैं कि इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के बीच सरकार बनाई जाती हैं और इन सरकारों को उनकी सत्ता शासितों की स्वीकृति से प्राप्त होती है। ...जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों को हानि पहुँचाती है तब यह उन लोगों का अधिकार बन जाता है कि वे उसे बदलें या खत्म कर दें और नई सरकार का गठन करें...

हम अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रतिनिधि ...इन उपनिवेशों के रहने वाले अच्छे लोगों के नाम से और उनकी सत्ता के आधार पर यह घोषित करते हैं कि ये संयुक्त उपनिवेश स्वतंत्र व स्वशासी हैं।

सन् 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की सैन्य मदद लेकर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया। जार्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने युद्ध जीता था और उन्हें पहला राष्ट्रपति चुना गया। सन् 1781 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार ने गणतांत्रिक संविधान ('गणतंत्र' जहाँ लोगों के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है) का ऐलान किया। इसके निर्माताओं में से थामस जेफर्सन भी थे जिन पर लॉक और रूसो जैसे विचारकों का बहुत प्रभाव था। उनके प्रयासों से अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकार, संघीय शासन प्रणाली, शक्तियों के विभाजन (कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन) आदि बातें सम्मिलित हुईं।

History_8.pmd 130 1/11/2019, 3:27 PM

आपकी कक्षा में कितनी भाषाएँ बोलने वाले लोग हैं? हरेक भाषा में इस अँग्रेज़ी वाक्य का अनुवाद करें– "no taxation without representation."

अमेरिका के लोग स्वयं को इंग्लैंड राष्ट्र का हिस्सा क्यों नहीं महसूस कर पा रहे थे जबकि उनके पूर्वज इंग्लैंड से आए थे, उनकी भाषा भी अँग्रेज़ी ही थी और धर्म में भी समानता थी?

अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा–पत्र में ऐसे कौन से विचार थे जो लॉक और रूसो के विचारों से मिलते थे?

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ईश्वर ने हरेक मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करने का अधिकार दिया है? चर्चा करें।

अमेरिका में उस समय महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। उन दिनों अमेरिका के खेतों में काम करने के लिए अफ्रीका के लोगों को दास बनाकर लाया गया था। उन्हें भी मताधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं और दासों को मताधिकार न देने के क्या कारण रहे होंगे? क्या आपको यह तर्कसंगत लगता है? अपने विचार बताएँ।

मिलकर एक नाटक तैयार करें – जिसमें दिखाएँ कि अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा–पत्र के बाद इंग्लैंड के राजा और संसद ने क्या चर्चा की होगी और अमेरिका से युद्ध करने की तैयारियाँ कैसे की गई होगी?

8.4 फ्रांसीसी क्रान्ति

इंग्लैंड की क्रान्ति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस में सन् 1789–92 के बीच क्रान्ति हुई जिसे हम फ्रांसीसी क्रान्ति के नाम से जानते हैं। इसे विश्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटनाओं में गिना जाता है।

सत्रहवीं सदी में फ्रांस में भी इंग्लैंड की तरह एक निरंकुश राजशाही स्थापित थी। पर वहाँ भी इंग्लैंड की तरह नए कर आदि लगाने के लिए राजा को अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों से अनुमति लेने की प्रथा थी। इसके लिए एक सभा बुलाई जाती थी जिसे 'एस्टेट जेनरल' कहा जाता था। उस समय का फ्रांसीसी समाज तीन श्रेणियों या 'एस्टेट्स' में विभाजित था। पहला एस्टेट ईसाई चर्च के पादरियों का था। दूसरे एस्टेट में आभिजात्य वर्ग के भूस्वामी थे। तीसरे एस्टेट में बाकी सामान्य लोग थे जिनमें वकील, व्यापारी, कारीगर, किसान, मज़दूर आदि सम्मिलित थे। वैसे देखा जाए तो संख्या में पहले व दूसरे एस्टेट के लोग नगण्य थे (आबादी के कुल 2.5 प्रतिशत) जबकि अधिकांश लोग (97.5 प्रतिशत) तीसरे एस्टेट के ही थे। पहले और दूसरे एस्टेट के सदस्यों को कई कानूनी रियायतें मिली हुई थीं, जैसे – पहले एस्टेट के पादरी चर्च के लिए बाकी सब लोगों से 'टाईथ' नामक धार्मिक कर वसूलते थे। पहले दो एस्टेटों को राजा को कोई कर नहीं देना पड़ता था तथा उन्हें राजकीय काम के लिए बेगार नहीं करनी पड़ती थी। अधिकांश उच्च पादरी दूसरे एस्टेट के आभिजात्य परिवारों से ही थे जिस कारण पहले दो एस्टेट का रुख एक जैसा होता था।

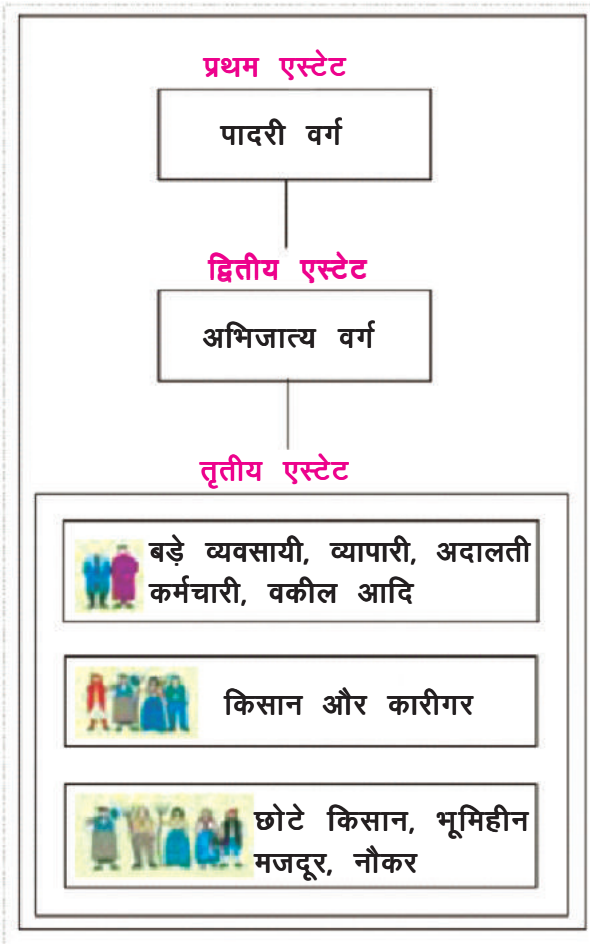

चित्र 8.7 : फ्रांस में एस्टेट व्यवस्था

History_8.pmd 131 1/11/2019, 3:27 PM

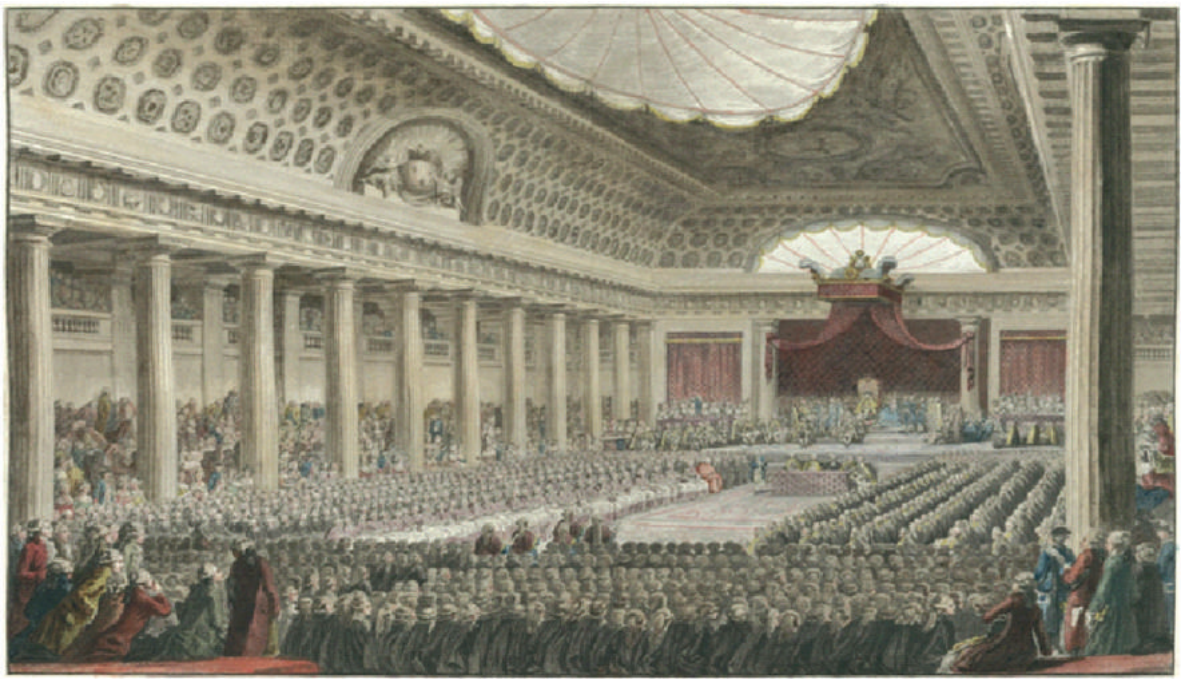

चित्र 8.8 : एस्टेट जेनरल की सभा का एक दृश्य मंच पर राजा सिंहासन पर बैठा है। उसके दाहिनी ओर चर्च के पादरी बैठे हैं और बाईं ओर आभिजात्य भूस्वामी। अन्त में उसकी ओर मुँह करते हुए खड़े हैं तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि। इसमें महिलाएँ अन्य दर्शकों के साथ बाजू की गैलरियों में बैठी हैं। इस चित्र की तुलना सत्रहवीं सदी के इंग्लैंड के संसद के चित्र 8.2 से करें।

जब राजा सलाह के लिए तीनों एस्टेटों को बुलाते थे तो हरेक एस्टेट को एक–एक मत का अधिकार था। इसका परिणाम यह था कि जो भी प्रस्ताव पहले दो एस्टेटों को स्वीकार्य होता था वही पारित हो सकता था। तीसरा एस्टेट जो 97 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता था, वह बिना पहले दो एस्टेटों की अनुमति के कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता था। कानूनी रूप से करों का बोझ केवल तीसरे एस्टेट पर पड़ता था लेकिन इसका निर्णय पहले दो एस्टेट के हाथों में था।

फ्रांस की जनता अठारहवीं सदी के अन्त में निरंकुश राजा तथा कुलीनों व सामन्तों की मनमानी से त्रस्त थी। सामन्त किसानों से अत्यधिक लगान वसूलते थे, उनसे बेगारी करवाते थे और कई तरह की वसूली करते थे। राजा और उसके अधिकारी नए–नए कर लगाने की कोशिश करते थे और विभिन्न तरह के दैनिक उपयोग की चीज़ों पर कर लगाते थे। राजा अक्सर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी उपयोग की वस्तु को बेचने का एकाधिकार अपने चहेतों को दे देता था। वे उस चीज की कीमत मनमाने ढँग से बढ़ाकर बेचते थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग चाहता था कि फ्रांस में सामन्तशाही खत्म हो और ऐसी राजकीय व्यवस्था हो जो फ्रांस के व्यापार और उद्योगों के उनके हितों में कानून बनाए। वे लोग काफी हद तक लॉक, रूसो, दिदेरो जैसे विचारकों के लोकतांत्रिक सिद्धान्तों से प्रभावित थे। इस बीच अमेरिकी क्रान्ति हुई जिसमें फ्रांस के सैनिकों ने भाग लिया और इस कारण फ्रांस में अमेरिकी क्रान्तिकारियों के विचार फैले।

सन् 1774 में जब लूई सोलहवाँ फ्रांस की गद्दी पर बैठा तब उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। फ्रांस द्वारा लड़े जा रहे युद्धों के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। इससे निपटने के सारे उपाय असफल रहे तो राजा लूई सोलहवाँ के पास लोगों पर लगाए जाने वाले करों में वृद्धि करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा।

लूई सोलहवें ने 5 मई सन् 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए तीनों एस्टेट की सभा–एस्टेट जेनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में 300–300 प्रतिनिधि भेजे। तीसरे एस्टेट से 600 प्रतिनिधि आए जो समृद्ध एवं शिक्षित मध्यम वर्ग के थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। फिर भी गाँव–गाँव में सभाएँ हुईं और लगभग 40,000 शिकायत–पत्रों में कारीगरों, महिलाओं, किसानों ने अपनी समस्याएँ

History_8.pmd 132 1/11/2019, 3:27 PM

प्रतिनिधियों के साथ भेजीं।

एस्टेट जेनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक एस्टेट को केवल एक मत देने का अधिकार था। परन्तु तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने माँग की कि इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक–एक मत का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धान्त था जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक *द सोशल कॉन्ट्रैक्ट* (*The Social Contract*) में प्रस्तुत किया था। राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसे में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए।

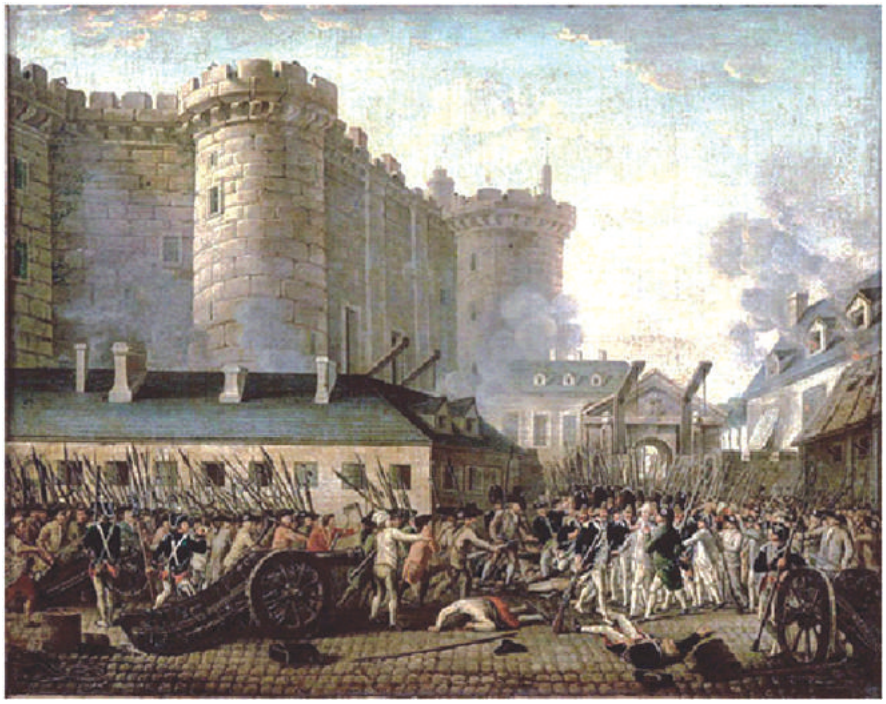

चित्र 8.9 : सन् 1789 में पेरिस की जनता द्वारा बास्ती किले पर हमला। इस किले पर जीत से शुरू हुई फ्रांसीसी क्रान्ति। क्या आप इसमें लोगों की सेना और राजकीय सैनिकों में अन्तर कर पा रहे हैं?

तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को सम्पूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और उन्होंने अपने आप को नेशनल या राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया। 20 जून सन् 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साय शहर के 'इनडोर टेनिस कोर्ट' में जमा हुए और शपथ ली कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। जुलाई से यह राष्ट्रीय असेंबली संविधान असेंबली कहलाई क्योंकि वह फ्रांस के लिए नया लोकतांत्रिक संविधान बनाने में जुट गई। राजा भी फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के लिए तैयार हो गए लेकिन आभिजात्य वर्ग ने सामन्ती जमींदारी प्रथा को खत्म करने का विरोध किया। इसके चलते एसेम्बली में गतिरोध बना रहा।

उन्हीं दिनों खाने–पीने की चीज़ें लोगों की पहुँच से बाहर होने लगीं। ठण्ड के कारण फसल खराब हो गई थी और पाव–रोटी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो गई। एक दिन पेरिस नगर में गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजा ने सेना को आदेश दे दिया। इससे क्रोधित भीड़ ने 14 जुलाई सन् 1789 को बास्ती किले की जेल पर हमला बोल दिया जो राजशाही का प्रतीक थी। वहाँ का कमांडर मारा गया और कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। इस घटना से प्रेरणा लेकर फ्रांस के बहुत से शहरों में जनता ने विद्रोह कर दिया और सत्ता को अपने हाथों ले लिया। गाँवों में किसानों ने सामन्तों के खिलाफ बगावत कर दी। यह अफवाह फैल गई कि सामन्त किसानों व फसलों को तबाह करने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं। भय के मारे किसानों ने कुदाल और हँसिए लेकर सामन्तों के महलों पर आक्रमण कर दिया। विद्रोही किसानों ने ज़मींदारों के अन्न भण्डारों को लूट लिया और लगान सम्बन्धी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन परिवार बड़ी संख्या में अपनी ज़मींदारी छोड़कर भाग गए। उनमें से अनेक ने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली।

किसान विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए 4 से 11 अगस्त सन् 1789 के बीच संविधान असेंबली ने करों, कर्त्तव्यों और बन्धनों वाली सामन्ती व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का आदेश पारित किया। इनमें से कई सामन्ती अधिकारों तथा चर्च द्वारा लिए जाने वाले करों को बिना किसी मुआवज़े के खत्म किया गया। कुछ महीने बाद चर्च की जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करके नीलाम कर दिया। लेकिन किसानों को उनके द्वारा जोती जा रही जमीन

History_8.pmd 133 1/11/2019, 3:27 PM

के लिए सामन्ती जमींदारों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने की बात कही गई। इससे किसान निराश हुए और जमींदारों के विरोध में उन्होंने अपना आंदोलन तीव्र कर दिया। इसी के साथ नए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इसका पहला कदम था। 26 अगस्त सन् 1789 को नेशनल असेंबली ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा–पत्र पारित किया। आइए देखें इसमें क्या था

पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा–पत्र

अहरणीय अधिकार
वे अधिकार जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता।

अनुल्लंघनीय
जिसे अमान्य नहीं किया जा सके।

1. पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र हैं और उनके अधिकार समान होते हैं।
2. हरेक राजनैतिक व्यवस्था का लक्ष्य पुरुष के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों की रक्षा है। ये अधिकार हैं– स्वतंत्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार।
3. समग्र सम्प्रभुता (राज करने का अधिकार) का स्रोत राष्ट्र (फ्रांस के लोगों) में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति जनता की स्वीकृति के बिना अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।
4. स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो।
5. कानून के पास केवल समाज के लिए हानिकारक कृत्य पर पाबन्दी लगाने का अधिकार है।
6. कानून सामुदायिक निश्चय की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं।
7. कानून–सम्मत प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा कैद किया जा सकता है।
8. प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पर कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
9. सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए।
10. चूँकि सम्पत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। परन्तु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकेगा। ऐसे मामले में न्यायसंगत अग्रिम मुआवज़ा ज़रूर दिया जाना चाहिए।

इसमें पुरुषों के लिए किस–किस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है?
किसी को लोगों पर शासन करने का अधिकार कौन दे सकता है?
कानून किन बातों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है?
कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी?
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उससे किन परिस्थितियों में और किन तरीकों से छीनी जा सकती है?
फ्रांस में पहले कर के सम्बन्ध में क्या नियम थे और इस घोषणा–पत्र में क्या नया प्रावधान किया गया?

History_8.pmd 134 1/11/2019, 3:27 PM

हम इस दस्तावेज़ के शीर्षक में देख सकते हैं कि यहाँ केवल पुरुषों की बात की गई है। उन्नीसवीं सदी तक लोकतांत्रिक चिन्तकों तथा आन्दोलनों में पुरुषों की स्वतंत्रता की ही बात की गई। वे मानते थे कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर के अन्दर है और उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस कारण सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार को केवल पुरुषों के लिए रखा गया। इसी धारणा के चलते फ्रांसीसी क्रान्ति में भी महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया और उन्हें 'पुरुष और नागरिक अधिकारों' के दायरे के बाहर रखा गया। इस विचारधारा का विरोध सन् 1791 में ही शुरू हो गया था जब कई महिलाओं ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं व नागरिकों के अधिकार नाम का एक घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया लेकिन राष्ट्रीय असेंबली ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब से महिलाओं के लगातार संघर्ष के कारण बीसवीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को मताधिकार जैसे नागरिक अधिकार मिल सके हैं।

सन् 1791 का नया संविधान

इसके तहत फ्रांस के राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। राजा की केन्द्रीकृत शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित किया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजशाही की नींव पड़ी। इस संविधान में चर्च के पादरियों को नागरिकों द्वारा चुने जाने की बात कही गई। पहले इनकी नियुक्ति पोप द्वारा होती थी। नए संविधान से असहमत होते हुए भी राजा ने विवश होकर सितंबर सन् 1791 में इसे अपनी स्वीकृति दे दी।

इस संविधान में कहा गया कि सारी सत्ता का स्रोत नागरिक ही होंगे। लेकिन नागरिक कौन होंगे?

फ्रांस के सभी निवासियों को फ्रांस का नागरिक माना गया परन्तु मत का अधिकार सभी के पास नहीं था। वे निष्क्रिय और सक्रिय नागरिक, दो श्रेणियों में विभाजित थे। सक्रिय नागरिकों को ही मताधिकार प्राप्त थे। ये थे 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष, जो कम–से–कम तीन दिन की मज़दूरी के बराबर प्रतिवर्ष कर चुकाते थे।

निष्क्रिय नागरिकों को नागरिक अधिकार तो प्राप्त थे मगर मताधिकार प्राप्त नहीं थे। ये ऐसे गरीब थे जो न्यूनतम कर भी अदा करने की स्थिति में नहीं थे या फिर महिलाएँ व बच्चे थे। लगभग 30 लाख पुरुष, सभी महिलाओं और 25 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था।

इस तरह देश के अधिकांश लोगों को मताधिकार न दिए जाने को लेकर व्यापक असंतोष था। उधर राजा और आभिजात्य वर्ग के लोग भी इस संविधान को असफल बनाने के प्रयास में लग गए। वे दूसरे देशों के राजाओं से अपनी ही जनता के विरुद्ध मदद मांगने लगे।

फ्रांस की क्रान्ति में महिलाओं और पुरुषों दोनों ने ही हिस्सा लिया। फिर क्यों महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए गए?

अगर आभिजात्य वर्ग और गरीब जनता दोंनों को सन् 1791 का संविधान स्वीकार नहीं था तो वह किसे स्वीकार्य रहा होगा?

सन् 1792–1794 के दौरान

सन् 1791 के संविधान से बहुसंख्यक फ्रांसीसी खुश नहीं थे क्योंकि उसमें केवल सम्पत्तिवालों को सक्रिय नागरिक माना गया था। उस समय लोग राजनीतिक क्लबों में एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। ये क्लब आज की राजनैतिक पार्टियों के प्रारम्भिक रूप थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे लोकप्रिय था। इस क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध तबकों से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी मज़दूर शामिल थे। इनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था।

चित्र 8.10 : रोबेस्पियर

History_8.pmd 135 1/11/2019, 3:27 PM

सन् 1792 में पड़ोसी देशों ने राजा लूई सोलहवें के समर्थन में फ्रांस पर हमला बोल दिया। इससे क्रुद्ध होकर तथा महंगाई एवं अभाव से नाराज़ पेरिस–वासियों ने एक विशाल हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। 10 अगस्त सन् 1792 की सुबह उन्होंने राजसी महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षक मारे गए और राजा को बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया गया। नए चुनाव कराए गए। इस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास सम्पत्ति हो या नहीं, को मताधिकार दिया गया लेकिन महिलाओं को अभी भी वंचित रखा गया। नवनिर्मित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया जिसने 21 सितम्बर सन् 1792 को राजतंत्र का अन्त करने की घोषणा कर दी। फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया (गणतंत्र का अर्थ है जहाँ सरकार के प्रमुख का चुनाव जनता करती है)। लूई सोलहवाँ और बाद में उसकी पत्नी मेरी को देशद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुना दी गई।

फ्रांस की गरीब जनता जिन्हें ''सां कुलात'' कहा जाता था अब राजनैतिक रूप से सक्रिय हो गई। वे लोग आभिजात्य वर्ग और मध्यम वर्ग के दबाव से मुक्त होकर मांग करने लगे कि सब लोगों के बीच राजनैतिक और आर्थिक समानता हो तथा निजी संपत्ति और मुनाफे की अधिकतम सीमा हो। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि गरीबों के हित में सरकार कीमतों पर नियंत्रण करे। वे चाहते थे कि चुने गए जन–प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी हों और अगर लोग चाहें तो उन्हें हटा पाएँ। साथ में वे चाहते थे कि सारा राजकीय काम प्रतिनिधियों पर न छोड़ा जाए और नागरिक राजकाज चलाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। सन् 1792 से 1794 तक ''सां कुलात'' का प्रभाव चरम पर था। इसी दौर में वे भारी मात्रा में सेना में भर्ती हुए। उन्होंने क्रांति की रक्षा के लिए पड़ोसी देशों के साथ लड़ाईयाँ लड़ीं और फ्रांस को विजयी बनाया।

सन् 1793 में कन्वेंशन ने निर्णय लिया कि किसान को अपनी जमीन पर पूरा अधिकार पाने के लिए सामन्तों को किसी प्रकार का मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। इस बीच दूसरे देशों में शरण लिए जमींदारों की जमीन को छोटे टुकडों में बांटकर छोटे किसानों को बेच दिया गया। इस प्रकार अधिकांश छोटे और मध्यम किसानों को जमीन और उस पर मालिकाना हक मिला। सन् 1794 में गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वृद्धों और निशक्तों को पेंशन, निराश्रित माताओं व विधवाओं को बच्चे पालने के लिए भत्ता, बीमारी में निःशुल्क इलाज आदि की व्यवस्था की गई।

सन् 1793 से 1794 तक ''कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी'' को शासन चलाने का ज़िम्मा दिया गया जिसके अध्यक्ष रोबेस्प्येर था। इस काल को 'आतंक का युग' कहा जाता है। जैकोबिन क्लब के नेता रोबेस्प्येर ने सख्ती से नियंत्रण एवं दण्ड की नीति अपनाई। उसने गणतंत्र के अनेक शत्रुओं– कुलीन एवं पादरी वर्ग एवं अन्य असहमति रखने वाले सदस्यों– को गिरफ्तार कर मृत्युदण्ड दिया।

रोबेस्प्येर ने गरीबों की आजीविका और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मज़दूरी और ब्रेड, आटा आदि की कीमतें निर्धारित कीं और उसे न मानने वालों को कठोर दण्ड दिया।

रोबेस्प्येर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी उससे परेशान हो गए। अन्ततः जुलाई सन् 1794 में न्यायालय ने उसको मौत की सजा दे दी। रोबेस्प्येर की सरकार के पतन के बाद सत्ता धनी वर्ग के पास आ गई। उन्होंने गरीब वर्ग के पुरुषों का मताधिकार फिर से समाप्त कर दिया।

राजा लूई सोलहवाँ और उसकी पत्नी मेरी को मौत के घाट क्यों उतारा गया?

यूरोप के राजाओं के खिलाफ फ्रांस का अभियान और पराजय

क्रान्ति के बाद पड़ोसी राज्य फ्रांस के राजपरिवार की मदद करने की कोशिश में लग गए थे। इस खतरे को देखते हुए सन् 1792 से ही फ्रांस की क्रान्तिकारी सरकार ने यह ऐलान किया था कि वह पूरे यूरोप से राजशाही को समाप्त करने और लोकतांत्रिक राष्ट्रों की स्थापना में मदद करेगी। फ्रांस की सेना ने पूरे यूरोप में विजयी अभियान शुरू कर दिया था और हर देश में वहाँ की जनता ने उसका स्वागत किया था। सन् 1799 में नेपोलियन नाम के एक महत्वाकांक्षी सेनापति ने फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ली और सन् 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित किया। वह एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आया। उसने यूरोप के कई राज्यों से युद्ध किया और उनके इलाकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे यूरोप के लोगों का फ्रांस से मोहभंग हो गया। नेपोलियन को हराने के लिए इंग्लैंड के नेतृत्व में

History_8.pmd 136 1/11/2019, 3:27 PM

पुराने राजघरानों का एक गठबन्धन बना जो सन् 1815 में नेपोलियन को हराने में सफल हुआ। इस गठबन्धन ने यूरोप के देशों में पुरानी सामन्ती व्यवस्था को पुनः कायम किया। अब पुराने राजघराने और भूस्वामी फिर से शासन करने लगे और हर तरह के लोकतांत्रिक विचार को दबाने का प्रयास करने लगे। इस तरह के संघर्षों का दौर चलता रहा और अन्ततः सन् 1871 में फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो सका।

8.5 यूरोप में नई चेतना और राष्ट्रवाद की लहर

फ्रांसीसी क्रान्ति (सन् 1789–1804) के बाद पूरे विश्व में एक नई चेतना फैली जिसे हम लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी चेतना कह सकते हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि नागरिक मिलकर राष्ट्र बनाते हैं, अतः राष्ट्र की इच्छानुसार राज्य चले। ऐसे राज्यों को राष्ट्र–राज्य कहा जाता है। यूरोप में मध्यम वर्ग के युवा क्रान्तिकारी विचारों को फैलाने में लग गए थे। उन्होंने गुप्त संगठन बनाकर अपनी कोशिशें जारी रखीं क्योंकि उनकी सरकार इन विचारों के खिलाफ थीं। उन दिनों इटली (जहाँ इतालवी भाषा बोली जाती थी) और जर्मनी (जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी) कई छोटे–छोटे राज्यों में बँटे हुए थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, रूस और ओटोमान जैसे विशाल साम्राज्यों के अन्तर्गत आने वाले कई लोग अपने छोटे राष्ट्र–राज्य बनाना चाहते थे, जैसे– ग्रीस और पोलैंड। इन क्षेत्रों में जब राष्ट्रवादी भावना जगी तो वहाँ के युवा आन्दोलनकारी यह चाहने लगे कि उनके राष्ट्र का एकीकरण हो (जैसे इटली और जर्मनी में) या उनका अलग राज्य बने।

चित्र 8.11 : मेत्सिनी द्वारा सन् 1833 में यंग यूरोप नामक क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना

लोगों में इन राष्ट्रवादी भावनाओं की लोकप्रियता को देखते हुए शासकों को यह स्पष्ट हो चला कि राजनैतिक बदलाव से बचा नहीं जा सकता है। उन्होंने यह प्रयास शुरू कर दिया कि बदलाव हो लेकिन उस पर आभिजात्य वर्ग का नियंत्रण बना रहे। उन्होंने अब राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व अपने हाथों में लेने का निश्चय किया। वे राष्ट्रवाद को लोकतंत्र से अलग करना चाहते थे और उसे भाषा, संस्कृति और धर्म से जोड़ना चाहते थे। वे राष्ट्रवाद का उपयोग राज्य के सशक्तीकरण के लिए करना चाहते थे। कुछ सालों में कई लड़ाइयों और अभियानों के चलते यूरोप का नक्शा बदलने लगा और पुराने छोटे–बड़े राज्यों की जगह इटली, जर्मनी, ग्रीस जैसे नए राष्ट्र–राज्य बन गए। इनमें ज्युसेपे मेत्सिनी, ज्युसेपे गैरीबॉल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, कावूर, कैसर विलियम प्रथम, विक्टर इमानुएल द्वितीय आदि की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनके प्रयासों से इटली और जर्मनी संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। इस नए जर्मन राज्य के सम्राट कैसर विलियम प्रथम और इटली के राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय बने। हम इन लोगों के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश कर सकते हैं। पर अब हम एशिया में राष्ट्रवादी विचारों के फैलने की कुछ झलक देखेंगे।

8.6 एशिया में राष्ट्रवाद

8.6.1 जापान

आमतौर पर यह माना जाता है कि जापान पहला एशियाई देश है जहाँ राष्ट्र–राज्य स्थापित हुआ। रोचक बात यह है कि जर्मनी की तरह यहाँ भी यह काम राजा के हाथों से हुआ।

जापान में सम्राट का शासन था लेकिन बारहवीं सदी के बाद असली सत्ता 'शोगुन' कहलाने वाले सेनापतियों के हाथ में आ गई थी। सन् 1603 से 1867 के समय में तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर आए। जापान उस समय 250 सामन्ती प्रदेशों में बँटा था जिन पर सामन्त शासन करते थे। सम्राट नाममात्र के शासक थे।

History_8.pmd 137 1/11/2019, 3:27 PM

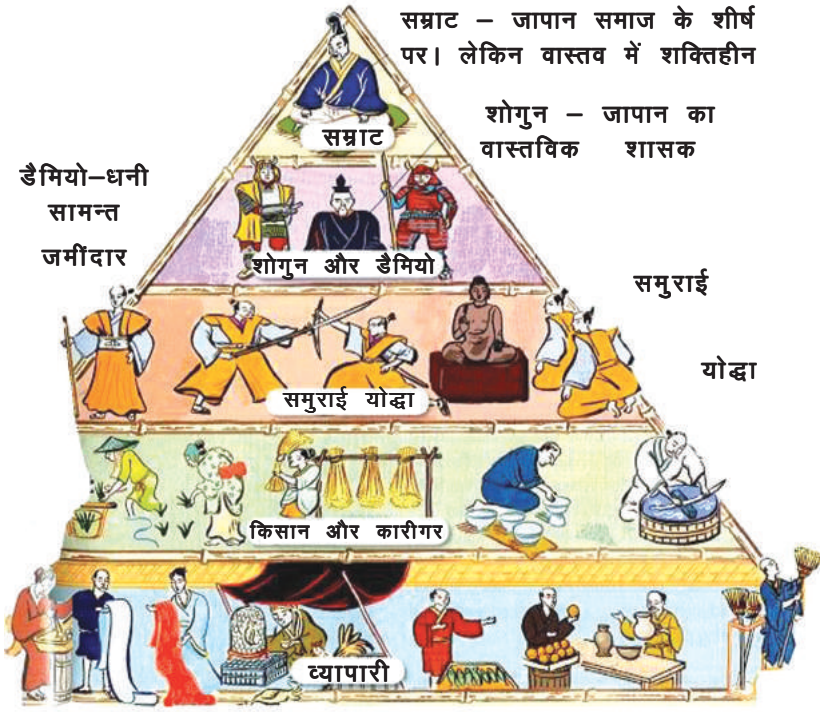

चित्र 8.12 : जापानी समाज का ढांचा

सामन्त किलों में रहते थे और उनके पास युद्ध लड़ने के लिए समुराई नामक योद्धा होते थे। इन्हें गुज़ारे के लिए सामन्त की ओर से चावल मिलता था। उन्हें कई कानूनी विशेषाधिकार भी प्राप्त थे।

किसान आसपास के गाँवों में सामन्त की ज़मीन जोतते थे और उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उसे लगान के रूप में देते थे। वे बिना अनुमति अपने खेत छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। उन्हें उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत लगान के रूप में देना पड़ता था और ऊपर से राजकीय कार्यों के लिए बेगारी भी करनी पड़ती थी। अधिकांश किसान व्यापारियों से उधार लेकर गुज़ारा करते थे और सूदखोर उनकी ज़मीन पर अधिकार जमाने लगे थे। उन्नीसवीं सदी में जापान में किसानों के विद्रोह भी होने लगे और सामन्ती राज्य की नींव हिलने लगी।

उन दिनों एक और महत्वपूर्ण वर्ग था व्यापारियों का जो धनी था और कई सामन्त और यहाँ तक कि शोगुन भी ज़रूरत पड़ने पर उनसे धन उधार लेते थे। लेकिन समाज में उनकी हैसियत कम थी।

दिए गए चित्र की तुलना फ्रांस के चित्र 8.7 से करें और बताएँ कि उनमें क्या समानताएँ और अन्तर हैं।

समुराई वर्ग में से कई लोग कुशल प्रशासक और बुद्धिजीवी बने। कई समुराई तो यूरोपीय व्यापारियों की संगत में आकर यूरोपीय भाषा और विज्ञान आदि सीखने लगे। यही वह तबका था जिसने जापान में बदलाव का बीड़ा उठाया।

शोगुनों को हटा कर सम्राट मेईजी की पुनःस्थापना

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य स्थापित हो रहा था। अपने देश जापान को इस अंजाम से बचाने के लिए शोगुनों ने सन् 1824 में यह फैसला लिया कि वे किसी पश्चिमी देश से व्यापार नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे उनके सम्पर्क में न आएँ। लेकिन यह बहुत देर तक नहीं चल सका। सन् 1853 में अमेरिका ने अपने नौसेना प्रमुख कोमोडोर पैरी को जापान सरकार से एक समझौता करने के लिए भेजा। मामूली युद्ध के बाद जापान को अमेरिका के साथ एक समझौता करना पड़ा।

पैरी के आने से जापान के लोगों का शोगुनों से असन्तोष बढ़ गया। सन् 1868 में समुराई वर्ग ने शोगुन को हटाने के लिए कई सामन्तों तथा धनी व्यापारियों की मदद से एक सशस्त्र आन्दोलन चलाया। वे सफल रहे और उन्होंने सम्राट मेईजी को जापान की सत्ता सौंप दी। उनकी अपेक्षा थी कि सम्राट के नेतृत्व में जापान एक एकजुट राष्ट्र के रूप में उभरेगा और पश्चिमी देशों की चुनौती का सामना करेगा।

नई सरकार ने कई क्रान्तिकारी कदम उठाए मगर कुछ इस तरह कि पुराने सामन्त वर्ग को ज़्यादा नुकसान न हो। इस समय तक सामन्त अपने–अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासन कर रहे थे। यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब कर्मचारियों के माध्यम से जापान में एक केन्द्रीय शासन प्रारम्भ हुआ। इसमें पहले के सामन्तों व उनके साथ के लोगों को जगह

History_8.pmd 138 1/11/2019, 3:27 PM

दी गई। सामन्तों का किसानों से लगान लेने के अधिकार का खात्मा दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। अब राज्य सीधे किसानों से लगान वसूल करने लगा। लेकिन सामन्तों को इसकी भरपाई नगदी पेंशन के माध्यम से की गई। जापान का सामन्त वर्ग अपनी पुरानी सत्ता तो खो बैठा लेकिन वे लोग इस नए युग में एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरे क्योंकि उनको पेंशन की मोटी रकम मिलती थी। उनके पास राजकीय नौकरी थी और धन भी था जिसे वे व्यापार और उद्योगों में निवेश कर सकते थे। जापानी राज्य ने अब तेज़ी से औद्योगीकरण का कार्यक्रम शुरू किया ताकि जापान एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित हो सके। एक और महत्वपूर्ण कदम था सारी प्रजा में कानूनी समानता का ऐलान। इसके तहत समुराई जैसे वर्गों के विशिष्ट अधिकार समाप्त कर दिए गए।

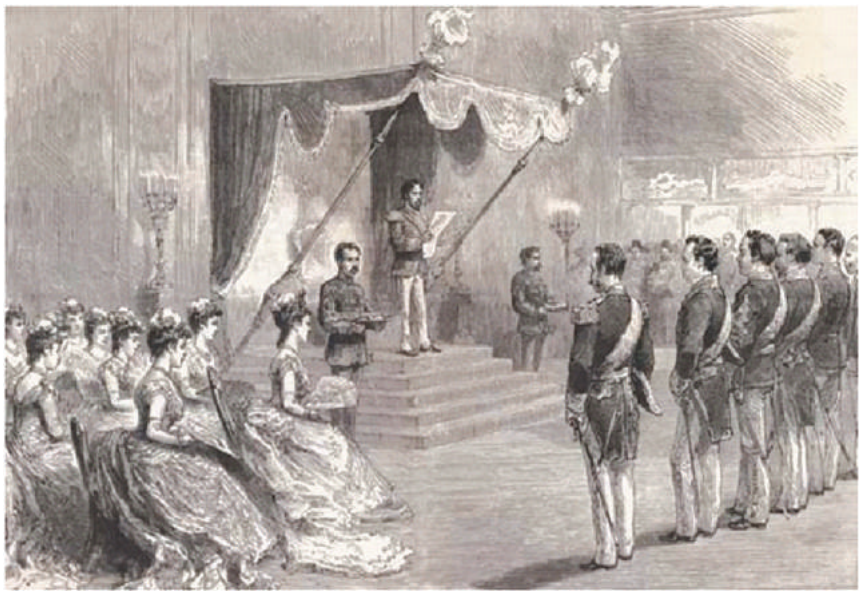

चित्र 8.13 : मेईजी संविधान' का ऐलान करते हुए जापान का सम्राट। आप इस तस्वीर में यूरोपियन संस्कृति का जापान पर प्रभाव देख सकते हैं।

जापान को आधुनिक राष्ट्र–राज्य बनाने के लिए सामन्तों की स्वायत्तता खत्म करना क्यों ज़रूरी था? क्या आपको लगता है कि इससे किसानों की स्थिति में सुधार आया होगा?

जापान के एक दल ने सन् 1882 में यूरोप और अमेरिका के संविधानों के अध्ययन के लिए वहाँ के देशों का भ्रमण किया और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद एक गुप्त समिति ने संविधान के लिए सुझाव तैयार करके सम्राट के सामने प्रस्तुत किया। इस समिति ने अपने काम के दौरान कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं की और न ही जनता से कोई संवाद किया। यह संविधान मूल रूप से विस्मार्क द्वारा निर्मित जर्मन संविधान पर आधारित था। सन् 1889 में नए संविधान का ऐलान हुआ जिसे ''मेईजी संविधान'' कहा जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता सम्राट की है और सम्राट अपनी इच्छा से यह संविधान अपनी प्रजा को दे रहा है। (यानी सत्ता लोगों से नहीं मगर सम्राट से आई है)। इस संविधान में सम्राट और उसके द्वारा नियुक्त मंत्रिमण्डल को अत्यधिक अधिकार दिए गए। यह भी कहा गया कि सम्राट इसी संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। एक संसद का भी गठन किया गया जिसके लिए केवल सम्पत्ति वाले लोग मत दे सकते थे। इस संसद की भूमिका भी सीमित थी। मेईजी संविधान में जापान की प्रजा को भी कुछ अधिकार दिए गए, जैसे– कानून के समक्ष सबकी समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, विधि द्वारा ही दण्ड दिया जाना आदि। लेकिन स्वतंत्रता के ये अधिकार बहुत सीमित थे।

8.6.2 भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन

भारत ब्रिटेन के अधीन था और यहाँ के राष्ट्रवाद का विकास अँग्रेज़ी शासन के खिलाफ हुआ था। सन् 1857 में भारतीय सैनिकों व पुराने शासकों ने अँग्रेज़ों को भगाने का पुरज़ोर प्रयास किया लेकिन वे विफल रहे। वे लोग मूलतः पुरानी शासन प्रणाली वापस लाना चाहते थे। भारत में एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई की शुरुआत सन् 1880 के बाद हुई जिसका सूत्रपात भारत में उभरते नए मध्यम वर्ग ने किया। जापान के राष्ट्र निर्माण में जिस तरह राजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, भारत के राष्ट्र निर्माण में किसी राजा की वैसी भूमिका नहीं रही।

History_8.pmd 139 1/11/2019, 3:27 PM

भारत के नए मध्यम वर्ग की खासियत यह थी कि इसमें भारत के हर प्रान्त से और हर धर्म और जाति के लोग सम्मिलित थे। इसमें दादाभाई नौरोजी और फिरोजशाह जैसे बुद्धिजीवी, बालगंगाधर तिलक और गोखले जैसे नेता, बदरुद्दीन तय्यबजी और रहमतुल्लाह सयानी, पण्डिता रमाबाई, लाला लाजपत राय, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और रामस्वामी मुदलियार, वामनराव लाखे, पं. सुन्दरलाल शर्मा, राश बिहारी बोस... आदि कई देशभक्त शामिल थे। यहाँ तक कि भारत में रहने वाले कई अँग्रेज़ (जैसे – ए.ओ. ह्यूम व एनी बेसेन्ट) भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। हम देख सकते हैं कि इनमें पारसी, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण आदि विविध सामाजिक वर्गों तथा देश के सभी भागों के लोग शामिल थे। अर्थात् यह मध्यम वर्ग एक तरह से पूरे भारत का और उसके विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। इस वर्ग की विशेषता यह थी कि उन लोगों ने अँग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त की थी और यूरोप के लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों से अवगत थे और उनके प्रति आस्था रखते थे। वे मानते थे कि भारत को एक आधुनिक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे पुरातनपन्थी या सामन्ती रास्ते पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, विज्ञान और औद्योगीकरण के रास्ते पर जाना होगा। इन्होंने मिलकर सन् 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना की जो हर साल मिलकर देश की दशा और उसकी ज़रूरतों पर विचार–विमर्श करती थी और ब्रिटिश शासन को सुधार के लिए ज्ञापन देती थी।

दादाभाई नौरोजी ने अँग्रेज़ी शासन में भारत की आर्थिक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की और बताया कि किस प्रकार इसकी वजह से भारत दिन–ब–दिन गरीब बनता जा रहा है। इस तरह के लेखन ने लोगों में राष्ट्रवाद के बीज बोए। सन् 1905 के बाद यह व्यापक जन आन्दोलन बनने लगा जिसमें हर प्रान्त के लाखों लोग अँग्रेज़ी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। इनमें कई गुप्त क्रान्तिकारी संगठनों के लोग भी थे जो हिंसात्मक क्रान्ति को अँग्रेज़ों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका मानते थे। वे कई दमनकारी अँग्रेज़ अफसरों की हत्या करने का प्रयास करते थे। ऐसे क्रान्तिकारियों में चापेकर बंधु और खुदीराम बसु अग्रणी थे।

सन् 1905 से 1920 के मध्य का दौर 'लाल–बाल–पाल' (लाला लाजपत राय, बालगांधर तिलक और बिपिनचन्द्र पाल) के नेतृत्व का युग था। इनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों के कारण भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ।

अँग्रेज़ों की नीतियों से प्रभावित किसान, मज़दूर, आदिवासी, दलित और महिलाएँ अपने–अपने स्तर पर शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे। जगह–जगह ऐसे लोगों के विद्रोह एवं आन्दोलन चलने लगे। उल्लेखनीय बात यह थी कि वे न केवल अँग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे बल्कि भारतीय समाज की कुरीतियों का भी पुरज़ोर विरोध करने लगे थे। वे चाहते थे कि भारत में ज़मींदारी, बेगारी आदि शोषणकारी व्यवस्थाएँ खत्म हों और महिलाओं, दलितों आदि के खिलाफ भेदभाव समाप्त हो। कई आन्दोलन जाति व्यवस्था और उसमें निहित असमानताओं के विरोध में चले।

राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधी जी की भूमिका

सन् 1915 में गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका के शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, भारत लौटे। उन्होंने राष्ट्रवादी आन्दोलन और अन्य आन्दोलनों के बीच जुड़ाव बनाया और किसानों, आदिवासियों, मज़दूरों, महिलाओं व दलितों की समस्याओं को राष्ट्रवादी आन्दोलन के तहत उठाया। इससे इन सब लोगों को उस वृहद आन्दोलन में शमिल होने का मौका मिला। यही नहीं गाँधी जी ने ऐसे स्वराज की कल्पना की जिसमें भेदभाव और असमानताएँ न हों और यह कहा कि हमारा उद्देश्य केवल अँग्रेज़ों को हटाना नहीं है बल्कि भारत में सामाजिक बदलाव लाना है। वे इसके लिए हिंसात्मक आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक नए तरह के आन्दोलन की पैरवी की जिसे सत्याग्रह नाम दिया। इस आन्दोलन के द्वारा विरोधियों को अपने उद्देश्यों को सच्चाई और दृढ़ता से मनवाना था।

इस तरह के आन्दोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद को बहुत मज़बूत बनाया। अब साधारण जन अपने आपको एक देश का हिस्सा समझने लगे थे। उनकी अलग भाषा, संस्कृति, वेशभूषा होते हुए भी एक भावना पनप गई कि हम एक राष्ट्र का हिस्सा हैं और इसने उनको एक सूत्र में बाँधने का काम किया। यह एकता की भावना लोक–कथा, गीत, चित्रों आदि के द्वारा भी बनाई गई। अँग्रेज़ों की कई कोशिशों के बावजूद न तो यह राष्ट्रवादी भावना दबाई जा सकी और

History_8.pmd 140 1/11/2019, 3:27 PM

चित्र 8.14 : दाण्डी यात्रा

न ही लोगों को किसी भी तरह का समझौता करके अँग्रेज़ों के अधीन रहने को तैयार किया जा सका। लोग पूर्ण स्वराज की माँग पर अड़ गए। सन् 1942 में **"अँग्रेज़ों भारत छोड़ो"** के नाम से एक विशाल आन्दोलन किया गया।

गाँधी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन से कई लोग असहमत थे। उनमें से कुछ यह मानते थे कि यह बहुत धीमी गति से चल रहा है या इसमें देश में व्याप्त असमानताओं को दूर करने की बात नहीं हो रही है। इस तरह के कई नौजवान मानते थे कि भारत को आज़ाद करने के लिए सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन की ज़रूरत है।

इन्हीं सब के बीच भारत अगस्त सन् 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों में बँटकर आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा बैठी और उस सभा की ओर से एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर अम्बेडकर थे। लगभग तीन साल के विचार–विमर्श के बाद जनवरी सन् 1950 में संविधान बना जिसमें भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया जो भारत के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बन्धुत्व हासिल करने के उद्देश्य को लेकर काम करेगा। इसमें वयस्क नागरिक मताधिकार द्वारा चुनी गई संसद को सर्वोपरि माना गया। संसद को कानून बनाने व कर लगाने का अधिकार था और कार्यपालिका उसके ही प्रति उत्तरदायी बनी। संविधान के तहत हर नागरिक को कई प्रकार की स्वतंत्रताएँ और अधिकार दिए गए। इस तरह भारत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य बना।

भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में लोग एक राष्ट्रीय भावना के तहत एकजुट हुए, इसके पीछे क्या कारक दिखाई देते हैं– चर्चा कीजिए।

अभ्यास

1. इंग्लैंड की संसद ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे निरंकुशवाद समाप्त किया जा सका?
2. अमेरिका के संविधान के मुख्य लेखक कौन थे? इस संविधान की विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए।

History_8.pmd 141 1/11/2019, 3:27 PM

3. आपने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस के बारे में पढ़ा है। इन देशों के सन्दर्भ में निम्नांकित को पहचानें।

   (अ) जहाँ राजा के कुछ अधिकार क्रान्ति के बाद भी बने रहे।

   (आ) वह देश जिसने नारा दिया– 'no taxation without representation'।

   (इ) पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा–पत्र

4. तोकुगावा शोगुनों और जापानी राजा के सम्बन्धों के बारे में मुख्य बातें बताएँ।
5. सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं – उसको अपने शब्दों में लिखें।
6. कर लगाने पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण किस प्रकार राजशाही पर अंकुश लगा सकता था?
7. रूसो मानता था कि सम्पत्ति के कारण मानव समाज विकृत हुआ और इससे मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हुई। आपको इसके पीछे क्या तर्क दिखाई देते हैं?
8. अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे क्या कारण थे? अपने शब्दों में बताइए।
10. फ्रांस के घोषणा–पत्र की बातें अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से किस तरह समान हैं?
11. पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा–पत्र, यह पढ़ कर आप क्या समझ पाए कि वे लोग महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे?
12. आज हम भारत में जिन मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, उनकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रान्ति से किस प्रकार हुई लगती है?
13. अलग–अलग देशों में हुई लोकतांत्रिक क्रान्तियों में गरीब तबकों, विशेषकर किसानों की क्या भूमिका थी?
14. जापान और भारत के राष्ट्रवाद में क्या फर्क था? अपने शब्दों में लिखिए।
15. मेईजी वंश की पुनःस्थापना से जापान में क्या बदलाव आए? विस्तार से बताइए।
16. गाँधी जी के आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में गति आने के मुख्य कारण आपके अनुसार क्या रहे होंगे? चर्चा करें।
17. नीचे दी गई सूची में आपने भारत और अन्य देशों में मताधिकार के बारे में क्या फर्क महसूस किया बताइए?

    सभी वयस्कों को मताधिकार कहाँ–कब मिला, निम्नलिखित तालिका में देखें।

देश	पुरुष	महिला
इंग्लैंड	1918	1928
अमेरिका	1862	1920
फ्रांस	1875	1944
जर्मनी	1871	1919
इटली	1912	1945
जापान	1925	1946
भारत	1950	1950

XZFH1T

**

History_8.pmd 142 1/11/2019, 3:27 PM